




पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 275 /NG/2020/Mech(P)/SPJ

निम्नलिखित अम्यर्थी जो रेलवे भर्ती बोर्ड/मुजफ्फरपुर द्वारा सहायक लोको पायलट वेतन बैंड पीबी 1 (5200-20200) ग्रेड पे 1900 (लेवल-2) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित हैं, तथा इस कार्यालय के पत्रांक का/227/आरआरबी/प्रशिक्षण/भर्ती/सम./17 दिनांक 29.08.19 द्वारा आवश्यक चिकित्सा जांचोपरान्त प्रारंभिक प्रशिक्षण हेतु वमविइ(परि.)/पूर्व मध्य रेल, दानापुर के अधीन भेजे गये थे, एवं वमविइ(परि.)/दानापुर के पत्रांक TRS/TRG/5/2-121 दिनांक 14.01.2020 द्वारा जारी प्रशिक्षण परिणाम में उत्तीर्ण थे, परन्तु प्राचार्य/जेडआरटीआई/मुजफ्फरपुर के पत्रांक T/327/23/ALP(Initial)/Pro दिनांक 04.01.2020 द्वारा अनुत्तीर्ण घोषित कर दिये गये थे तथा इन्हें दुबारा परिचालन कोर्स में भेजा गया, तदोपरान्त प्राचार्य/जेडआरटीआई/मुजफ्फरपुर के पत्रांक T/327/23/ALP(Initial)/Pro दिनांक 26.05.2020 द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण हैं, को सहायक लोको पायलट वेतन बैंड पीबी 1 (5200-20200) ग्रेड पे 1900 (लेवल-2) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने अंकित संयुक्त क्रू लॉबी में पदस्थापित किया जाता है। पदस्थापना पर इनका वेतन रू 19900 /-(लेवल-2 में) होगा एवं समय-समय पर नियमानुसार स्वीकार्य अन्य भत्ते देय होगा, जो अम्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा :-

क्रम सं०	अम्यर्थी का नाम सर्वश्री / श्रीमती	पिता का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	प्रथम चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र सं० / दिनांक एवं श्रेणी	पदस्थापना स्थल	प्रारंभिक प्रशिक्षण के कुल प्राप्तांक	अम्यर्थी का फोटो	अम्यर्थी का हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान
01	शशि कुमार (SC)	शंभू रजक	16.01.87	781334 Dt. 26/27.06.19 Fit in (AI) Aye One and below issued by Sr.DMO/DNR	संयुक्त लॉबी / नरकटियागंज	139		 

(एक अम्यर्थी मात्र)


सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबधिक है।

उपरोक्त नियुक्ति अम्यर्थी तृतीय श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम एवं शर्तों से शासित होंगे। चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस के विपरीत प्रतिवेदन आने एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में त्रुटि पाये जाने पर सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। आवश्यकतानुसार प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियरिंग यूनिट में 12 वर्षों तथा प्रादेशिक सेवा में 03 वर्षों तक या आवश्यकतानुसार जो अवधि निर्धारित की जाएगी, सैन्य सेवा करनी होगी।

इनकी रेल सेवा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना के तहत शासित होगी। इन्हें प्रशिक्षणोपरांत इस कार्यालय में पहली बार रिपोर्ट करने की तिथि 10.01.2020 से 14.01.2020 तक एवं दुबारा प्रशिक्षणोपरांत रिपोर्ट करने की तिथि 03.03.2020 से 17.03.2020 एवं पुनः 01.06.2020 से इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि तक प्रशिक्षण अवाधि का विस्तार मानते हुए वृत्तिका देय होगा तथा इनकी वरीयता रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी) 1-89/एसआर 6/32(पीएनएम) दिनांक 19.03.93 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। उक्त अभ्यर्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के पूर्व विहित लॉनिंग अनिवार्य है।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।


(आर. आर. शिकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
समस्तीपुर


दिनांक 12-06-2020



संख्या - का/227/111/प्रशिक्षु/सलोपा/17/भाग-111

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर
2. वमंविप्र / वमविइ(टीआर) / समस्तीपुर
3. मुख्य क्रू नियंत्रक / संयुक्त क्रू लॉबी, नरकटियागंज
4. मुख्य शक्ति नियंत्रक / समस्तीपुर
5. मुकार्याधी यांत्रिक (बिल) / बिल लिपिक / संयुक्त क्रू लॉबी, नरकटियागंज
6. संबंधित कर्मचारी
7. अभिलेख हेतु
8. मुकार्याधी (पास) कार्यालय में - कृपया समस्तीपुर से नरकटियागंज के लिये इकतरफा ड्यूटी पास जारी करने की व्यवस्था करें।
9. मंडल मंत्री / ईसीआरकेयू, अजा-अजजा एवं ओबीसी एशो., समस्तीपुर मंडल


कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर